न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद)

मु.न. 223/2014

उनवान

1. मालीराम पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी गोविन्ददेव जी का रडा के पास ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. खेताराम पुत्र रामनाथ
2. तेजपाल पुत्र खेताराम
3. हीरालाल पुत्र खेताराम
4. सुन्दरी पत्नि खेताराम
5. सुमित्रा पत्नि तेजपाल
6. अर्चना पत्नि हीरालाल
   समस्त जाति माली, निवासी गोविन्ददेव जी का रडा, सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा सामोद तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. शाखा प्रबन्धक सिंडीकेट बैंक शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 25.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत सामोद मे पेश हुई। वादी ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वादी काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जिसकी खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमियां ग्राम सामोद, भू अभिलेख क्षेत्र चौमूं में खसरा नम्बर 1218/2 रकबा 0.12 हैक्ट., खसरा नम्बर 1219/2 रकबा 0.19 हैक्ट., खसरा नम्बर 1262/1 रकबा 0.22 हैक्ट., खसरा नम्बर 1262/7 रकबा 0.07 हैक्ट., खसरा नम्बर 1262/8 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 1262/9 रकबा 0.06 हैक्ट. कुल किता 6 का कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 1262/2 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 1262/4 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमियां ही इस वाद पत्र में वादग्रस्त है, जिन्हे अग्रिम मदों में वादग्रस्त सम्बोधित किया गया हैं।

वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1218/2, 1219/2, 1262/1, 1262/7, 1262/8, 1262/9 में सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1261, 1262/2, 1262/4 में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है, जिनके द्वारा अपने हक हिस्से की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमियों पर वादी काबिज काश्त है, भूमियों की तारबन्दी की हुई है, प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नम्बर 1218/2, 1219/2, 1262/1, 1262/7, 1262/8, 1262/9 भूमि के लगवा ही तथा खसरा नम्बर 1261, 1262/2, 1262/4 भूमि का 1/2 भाग का खातेदार है, जिस वादग्रस्त भूमियों में वादी ने अपने हक हिस्से की भूमि में बैर, आंवला, सीताफल, सैनणा, नींबू, आदि फलदार वृक्ष लगा रखे है। सींव डोल पर पत्थरगढी की हुई है, वादी वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का प्रत्येक प्रकार से उपयोग–उपभोग करता आ रहा है तथा लगान सरकार को जमा करवाता आ रहा हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादी के सींव जोड पडौसी है, वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1218/2, 1219/2, 1262/1, 1262/7, 1262/8, 1262/9 से प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार सम्बन्ध नही है, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादी से द्वेष भावना रखते है, वादी की भूमि को विकय करवाना चाहते है, जिस कारण आये दिन सींव, डोल फोडकर लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा पूर्व में भी कई मर्तबा वादी के साथ मारपीट की जा चुकी है, जिस सम्बन्ध में फौजदारी प्रकरण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन है, प्रतिवादी संख्या बल में अधिक होने से अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहे, नही कानून का पालन करते है, दिनांक 20.07.2014 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एकराय होकर वादी के खेत खसरा नम्बर 1218/2 की पूर्वी सीमा पर गठे हुए सीमा के पत्थरों को उखाडने पर आमदा हो गये जिस पर वादी के द्वारा विरोध करने पर ऐलानियां धमकी दी कि यह जमीन आप हमे विकय कर दो अन्यथा हम कब्जा करेंगे, पत्थरों को उखाड कर अपनी भूमि में मिलायेगे। जिस कारण वादी को वाद पेश करना लाजमी आया हैं।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादग्रस्त भूमि में जतरन प्रवेश नही करे, नही सीव डोल फोडे, नही सींव पर गढे हुए सीमा के पत्थरों को उखाडे, खुर्द–बुर्द नही करे, वादी के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में कोई मजाहमत व मदखलात नही करे, उक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करे, ना ही अपने किसी भी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 7 उक्त विवादग्रस्त भूमियों की मौका व रिकार्ड के यथास्थिति बनाये रखें।

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। आज कैम्प में वादी स्वयं उपस्थित आया। वादी को सुना गया। पत्रावली, प्रस्तुत हाल नक्शे दिनांक 04.05.2018, दस्तावेजात तथा बहस का अवलोकलन किया गया। पत्रावली आज वास्ते आदेश 6 नियम 17 निर्णित होने हेतु प्रतीक्षारत हैं। प्रा. प. का दावे की विषयवस्तु के सापेक्ष मूल्यांकन करने के उपरान्त न्यायालय के विनम्र मत में सद्भाविक संशोधन को प्रा0 पत्र में वर्णितानुसार संशोधन स्वीकार्य माना जाकर अनुतोष खण्ड (1) की दूसरी पंक्ति में अस्थायी शब्द के स्थान पर लाल स्याही से स्थायी शब्द संशोधन किया जाता हैं नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1218/2, 1219/2, 1262/1, 1262/7, 1262/8, 1262/9 में सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1261, 1262/2, 1262/4 में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा खाता संख्या 430 के खसरा नम्बर 1218/2, 1219/2, 1262/1, 1262/7, 1262/8, 1262/9 कुल किता 6 के कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जिसमें वादी ही इकलौता खातेदार है कि हद तक उभयपक्षकार अपनी खातेदारी भूमि में बने रहकर काश्त करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी नही करेंगे तथा नया खाता संख्या 434 के खसरा नम्बर 1261, 1262/2, 1262/4 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की हद तक पत्रावली के आद्योपात अवलोकनोपरांत तथा प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सम्मुख उपस्थित होकर बात रखने के सापेक्ष उभयपक्षों को पूर्व से कायम सीमा चिन्हों के

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जयपुर

Scanned by CamScanner

साथ किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं पूर्व से कायम सीमा चिन्हों को नष्ट, क्षतिग्रस्त नही करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– **223/2014**

उनवान

1. मालीराम पुत्र रामनाथ, जाति माली, निवासी गोविन्ददेव जी का रडा के पास ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. खेताराम पुत्र रामनाथ
2. तेजपाल पुत्र खेताराम
3. हीरालाल पुत्र खेताराम
4. सुन्दरी पत्नि खेताराम
5. सुमित्रा पत्नि तेजपाल
6. अर्चना पत्नि हीरालाल

   समस्त जाति माली, निवासी गोविन्ददेव जी का रडा, सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा सामोद तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. शाखा प्रबन्धक सिंडीकेट बैंक शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा खाता संख्या 430 के खसरा नम्बर 1218/2, 1219/2, 1262/1, 1262/7, 1262/8, 1262/9 कुल किता 6 के कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जिसमें वादी ही इकलौता खातेदार है कि हद तक उभयपक्षकार अपनी खातेदारी भूमि में बने रहकर काश्त करते रहेंगे तथा एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी नही करेंगे तथा नया खाता संख्या 434 के खसरा नम्बर 1261, 1262/2, 1262/4 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की हद तक पत्रावली के आंद्योपात अवलोकनोपरांत तथा प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सम्मुख उपस्थित होकर बात रखने के सापेक्ष उभयपक्षों को पूर्व से कायम सीमा चिन्हों के साथ किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं पूर्व से कायम सीमा चिन्हों को नष्ट, क्षतिग्रस्त नही करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद मे आज तारीख 25.05.2018 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जयपुर

Scanned by CamScanner

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जयपुर

Scanned by CamScanner